Seventeenth Loksabha

an>

Title : Need to regulate unauthorised loan applications on Cyber platforms

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, देश में कोई भी व्यक्ति जब किसी वित्तीय संस्थान में ऋण हेतु आवेदन करता है तो वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है । वर्तमान में, भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कार्य कर रही हैं । आरबीआई के नियमानुसार इनमें से सिबिल रिकॉर्ड अनिवार्य है जिसके विवरण के आधार पर ही वित्तीय संस्थान द्वारा आमजन को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है । वर्तमान में विभिन्न अनाधिकृत क्रेडिट एप व प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं जो ऑनलाइन ही लोन स्वीकृत कर देती हैं । इनमें आमजन के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके भी लोन लेने जैसे साइबर फ्रॉड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है । साथ ही कई बार आमजन का लोन आवेदन इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके रिकॉर्ड में ऐसा विवरण आता है जो कि उनसे सम्बंधित नहीं होता है । यह विवरण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लापरवाही से दर्ज हो जाता है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे लोन देने वाली अनाधिकृत ऐप पर कार्रवाई की जाए ताकि साइबर फ्रॉड बंद हो । साथ ही क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं को भी आमजन के रिकॉर्ड में सही विवरण ही दर्ज रखने हेतु बाध्य किया जाए ।